न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री योगेश कुमार डागुर (आर.ए.एस.)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/	अपील	06.02.2018	03.03.2021

बउनवान

1. कैलाश पुत्र लल्लूराम जाति धोबी निवासी अकबरपुर तहसील अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत अकबरपुर पंचायत समिति उमरैण जरिये सरपंच।

––असल रेस्पोडेन्ट

2. प्रभू पुत्र लल्लूराम जाति धोबी।
3. रामचन्दर पुत्र लल्लूराम जाति धोबी।
4. तारा पुत्री लल्लूराम जाति धोबी।
5. केशर पुत्री लल्लूराम जाति धोबी निवासियान ग्राम अकबरपुर तहसील अलवर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या
75 ग्राम पंचायत अकबरपुर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भजीट द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 26.01.2002 इन्तकाल संख्या 75 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 558 रकबा 0.23 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट का पिता व पति मृतक लल्लू पुत्र मामला धोबी था। जो फौत हो गया और उसके फौत हो जाने के बाद से रेस्पोडेण्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पटवारी हल्का ने जब अपीलाण्ट के पिता मृतक लल्लू पुत्र मामला धोबी का नामान्तरकरण पुस्तिका में नामान्तरकरण संख्या 78 में जो शजरा दर्शाया है, उसमें अपीलाण्ट का नाम कैलाश के स्थान पर भरतलाल दर्ज कर दिया। जबकि मृतक लल्लू के भरतलाल नाम का कोई पुत्र नहीं है। अपितु अपीलाण्ट का नाम भरतलाल के स्थान पर कैलाश शजरे में आना चाहिए था। भरतलाल के नाम का अंकन पटवारी हल्का ने गलत किया है। नामान्तरकरण संख्या 78 को पटवारी हल्का ने असल रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर के समक्ष पेश किया। जिस पर सरपंच ने कोई जॉच नहीं की तथा अपीलाण्ट के नाम की सत्यता की जॉच किये बिना व विधि विरूद्ध व शजरे में गलत नाम भरतलाल का अंकन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 78

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.03.31 19:09:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज.)

Scanned By Scanner Go

को बेजा स्वीकार करते हुऐ फैसल किया है। जो नामान्तरकरण अपीलाण्ट के हकूकों के खिलाफ कतई गलत व खिलाफ कानून है। जो निरस्त योग्य है। क्योंकि मृतक लल्लू के भरतलाल नाम का कोई पुत्र ना था, ना है। यदि नामान्तरकरण संख्या 78 को दुरूस्त नहीं किया जाता है, तो अपीलाण्ट के खातेदारी हकूक जायल होगें तथा अपीलाण्ट को सरकारी नीतियों का फायदा नहीं मिलेगा तथा अपीलाण्ट के फौत होने पर उसका विरासत का नामान्तरकरण भी अपीलाण्ट के वारिसान के नाम दर्ज होकर फैसल नहीं होगा। क्योंकि अपीलाण्ट का जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा वो भरतलाल के नाम से बनेगा तथा राजस्व रिकार्ड में कैलाश की जगह भरतलाल दर्ज है। इसलिए अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण संख्या 78 को निरस्त कराना आवश्यक हुआ है। तरतीबी रेस्पोडेण्ट का नाम यथावत दर्ज रखते हुऐ भरतलाल पुत्र लल्लू धोबी का नाम का अंकन हटाकर उसके स्थान पर कैलाश पुत्र लल्लू धोबी का नाम दर्ज करते हुऐ पुनः नामान्तरकरण दर्ज कराए जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जयें नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 एवं 2 लगा. 5 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम कैलाश है। यदि अपील मंजूर की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया। विवादित इंतकाल संख्या 78 दिनांक 26.01.2002 विरासत लल्लू का अध्ययन किया। विवादित इंतकाल विरासत बचनी बेवा लल्लू, प्रभु, भरतलाल, रामचन्दर पि.लल्लू, तारा, केसर, लक्ष्मी पुत्रियान लल्लू धोबी सम्भाग 1/2 हिस्सा बाकी हिस्सा बदस्तूर दर्ज होकर स्वीकार हुआ। उक्त आलोच्य इंतकाल में अपीलाण्ट का नाम कैलाश के स्थान पर भरतलाल के नाम का अंकन किया गया है। अपीलाण्ट ने अपने नाम की ताईद में ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा जारी राशन कार्ड संख्य 269584654285, ड्राईविंग लाईसेंस, भामाशाह रसीद, आधार कार्ड एवं ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.04.2018 प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत रिकार्ड में अपीलाण्ट का नाम कैलाश दर्ज है। तरतीबी रेस्पोडेण्ट ने भी अपने इकबाल जवाब में भरतलाल के स्थान पर कैलाश पुत्र लल्लू धोबी का नाम दर्ज करते हुऐ अपील स्वीकार करने का कथन किया है।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 05 स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत ... पंचायत द्वारा प्रस्तुत पत्र एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत पत्रादि/प्रमाण ... अपीलाण्ट स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.03.31 19:09:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned By Scanner Go

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश इंतकाल संख्या 75 दिनांक 26.01.2002 ग्राम अकबरपुर अपास्त किया जाता है। तहसीलदार अलवर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक लल्लू के विधिक वारिसान के सही नामों की जॉच कर पुनः विधि सम्मत नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

3.2021

योगेश कुमार डागुर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

3.2021

योगेश कुमार डागुर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.03.31 19:09:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned By Scanner Go